

## **Regarding problems being faced by in-service teachers by making Teacher Eligibility Test (TET) compulsory as service condition - Laid**

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : कक्षा 1-8 तक के सभी सेवारत शिक्षकों को दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने देश भर में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। पूर्वव्यापी आदेश 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रभावित करता है, और अकेले उत्तर प्रदेश में, लगभग 1.86 लाख शिक्षक, जो कुल कार्यबल का लगभग 40% है, सीधे प्रभावित होंगे। इस आदेश के कारण बड़े पैमाने पर जबरन सेवानिवृत्ति हो सकती है और शिक्षकों की मौजूदा कमी और भी बढ़ती हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में पहले से ही 1.2 लाख से अधिक शिक्षण पद रिक्त हैं और हजारों स्कूल विलय के कगार पर हैं। इस आदेश से कक्षाओं में शिक्षक विहीनता और बच्चों की शिक्षा बाधित होने का खतरा है।

मैं केंद्र सरकार से इन चुनौतियों का संज्ञान लेने, समीक्षा याचिकाओं का समर्थन करने और स्कूली शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए सेवारत प्रशिक्षण और जिला स्तरीय शिक्षक कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे संतुलित विकल्पों पर विचार करने का आग्रह करता हूँ।